

न्यायालय सि.एम. आमेर मु. जयपुर
कलकत्ता बंगाल गणराज्य इ.पी.

कासने 35/2012

16-5-2022

पञ्जावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी मध्य
अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं। दी रिस्ट्रिक्ट
वार ऐडवाइसिपेशन द्वारा कार्य स्वयं
किये जाने के कारण कोई कार्यवाही
नहीं की गई। पञ्जावली दिनांक 8/6/2022 को
पेश हो।

न्यायालय कलकत्ता
आमेर मु. जयपुर

8/6/2022

पञ्जावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता
आज भी अनुपस्थित। आवाज लगाई गई।
वादी व वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय
समय समाप्त होने के हैं, पुनः आवाज लगाई
गई। वादी व वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः
वाड अदम हजरी व अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पञ्जावली फीमल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय कलकत्ता
आमेर मु. जयपुर

